उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
संख्या-16/2020/910 ई-1362010/तीन-2020-39(1)/2002
लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर, 2020

**विज्ञप्ति/विविध**

**विषयः- उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खण्ड स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020 में प्रदेश के स्नातक/शिक्षकों, जिनके नाम विधान परिषद की स्नातक/शिक्षक निर्वाचन नामावली में सम्मिलित हैं, को मतदान दिवस दिनांक 01-12-2020 को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने के संबंध में।**

भारत सरकार की गाइडलाइन्स संबंधी ओ0एम0 नं0-12/4/86-जे0सी0ए0 दिनांक 09-03-1987 एंव भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0-78/ 94/3078 दिनांक 13-04-1994 की शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-AP-LC/2010-CC&BE दिनांक 23-12-2010 के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खण्ड स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020 जो उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों (कानपुर नगर, कानपुर देहात तथा उन्नाव को छोड़कर) मे होने वाले हैं, में उत्तर प्रदेश राज्य के सभी कर्मचारी जो विश्वविद्यालय स्नातक है, और जो स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले राज्य विधान परिषद के निर्वाचनों हेतु बोनाफाइड मतदाता है, को मताधिकार के प्रयोग हेतु मतदान दिवस दिनांक 01-12-2020 को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल मोहदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं है।

2- उक्त आदेश उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त विभागों/विभागाध्यक्षों/स्थानीय निकायों तथा अर्द्धशासकीय विभागों पर लागू होगें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

**संख्या-16/2020/910(1) ई-1362010/तीन-2020-39(1)/2002 तद्दिनाँक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1042/ सी0ई0ओ0-2-98/4-2002 दिनांक 05-11-2020 के संदर्भ में।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, सभापति, विधान परिषद /अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
7- स्थानिक आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
8- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (जिलाधिकारी कानपुर नगर, कानपुर देहात तथा उन्नाव को छोड़कर)।
9- निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस विज्ञप्ति को यथा समय आवश्यक प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11- उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक गोमती नगर, लखनऊ।

12- सचिवालय के समस्त अनुभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।